

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./अ.प्रशा/2020/ 1054
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29/10/2020

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्य प्रदेश।
2. समस्त सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, मध्य प्रदेश।
3. अधीक्षक सिविल अस्पताल कैलाशनाथ काटजू भोपाल, सिविल अस्पताल-बैरागढ़ (भोपाल), डॉ. श्याम प्रसाद मुखर्जी इटारसी (होशंगाबाद) एवं रानी दुर्गावती, (जबलपुर) मध्य प्रदेश।

विषय – प्रदेश के समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में कोविड-19 परिपेक्ष्य में इलेक्टिव शल्य चिकित्सा संबंधी उपचार के संबंध में।

संदर्भ – संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के पत्र क्रमांक अ.प्रशा/2020/495 दिनांक 23.03.2020

--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है की, संदर्भित पत्र के द्वारा आपके अधीनस्थ समस्त चिकित्सा संस्थाओं में कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत इलेक्टिव सर्जरी केसेस स्थगित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

संदर्भित पत्र में संशोधन करते हुए इलेक्टिव सर्जरी प्रारंभ करने हेतु संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक/कोविड-19 नियंत्रण/आई.डी.एस.पी/2020/1782 दिनांक 16.10.2020 के परिपालन में निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन किया जाना है –

1. किसी भी इलेक्टिव सर्जरी के पूर्व रोगी का आर.टी.पी.सी.आर पद्धति से जांच होना एवं नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है।
2. ऐसी शल्य क्रियाएं, जो चिकित्सकीय आँकलन अनुरूप 2 माह से अधिक समय तक स्थगित करने पर रोगी पर कोई अधिक नकारात्मक प्रभाव नहीं करती हो, को स्थगित रखा जाए।
3. ऐसी शल्य क्रियाएं, जो चिकित्सकीय आँकलन अनुरूप 2 माह से अधिक समय तक स्थगित करने पर रोगी के लिए हानिकारक हो, को समुचित **Pre-Operative Investigations** तथा **Physician Fitness** प्राप्त कर सुनिश्चित की जा सकती है।
4. इलेक्टिव सर्जरी के पूर्व **Pre-Anaesthetic Check-up (PAC)** हेतु **CBP, CRP, CXR** तथा **RTPCR for COVID-19** अनिवार्य रूप से कराई जाए।

Handwritten signature

संयुक्त संचालक (अ.प्रशा)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्य प्रदेश

भोपाल, दिनांक 29/10/2020

क्र./अ.प्रशा/2020/ 1055
प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.।
3. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र.।
4. समस्त संभाग आयुक्त, म.प्र.।
5. समस्त कलेक्टर, म.प्र.।
6. समस्त क्षेत्रीय संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।

Handwritten signature

संयुक्त संचालक (अ.प्रशा)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्य प्रदेश